कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन,उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्रांक 815 /29–1(1), देहरादून, दिनांक 07,अक्टूबर 2022.

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2.समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक,उत्तराखण्ड।
3.समस्त मुख्य वन संरक्षक,उत्तराखण्ड।
4.समस्त वन संरक्षक/निदेशक उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी।

विषयः— **मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित अवमानना वाद संख्या– 594–595/2020 उत्तरांचल वन श्रमिक संघ, रानीबाग व अन्य बनाम ओम प्रकाश व अन्य एवं अवमानना वाद संख्या–849– 850/2021 पृथ्वी सिंह राण, अध्यक्ष,उत्तराखण्ड फॉरेस्ट डेली वेजेज वर्कर्स एसोसिएशन बनाम एस0एस0 संधू व अन्य के संबंध में।**

सन्दर्भः— **मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन,उत्तराखण्ड,देहरादून का पत्रांक– 203/29–1–(1) दिनांक 03.08.2022 पत्रांक 234/29–1(1) दिनांक 08.08.2022.पत्रांक 254/29–1(1) दिनांक 16.08.2022 एवं पत्रांक 288/29.1(1) दिनांक 23.08.2022 .**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित **अवमाननावाद संख्या– 594–595/2020 उत्तरांचल वन श्रमिक संघ, रानीबग व अन्य बनाम ओम प्रकाश व अन्य एवं अवमाननावाद संख्या– 849–850/2021 पृथ्वी सिंह राणा, अध्यक्ष,उत्तराखण्ड फॉरेस्ट डेली वेजेज वर्कर्स एसोसिएशन बनाम एस0एस0संधू व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली द्वारा अवमानना वादों में दिनांक 19.07.2022 को पारित आदेश** के अनुपालन में उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्धारित **प्रपत्र में सूचना एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने** हेतु लिखा गया है प्रपत्र भाग–2 भाग–3 पर अंकित नियंत्रक अधिकारी द्वारा दावे के सहमत/असहमत संस्तुति की जानी है। कतिपय दैनिक श्रमिकों के प्रपत्र नियंत्रक अधिकारियों द्वारा स्वीकार नही किये जा रहे हैं। जिसके कारण दैनिक श्रमिकों द्वारा सीधे ही इस कार्यालय को प्रपत्र बिना संस्तुति के ही प्रेषित किये जा रहे है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दैनिक श्रमिकों के **प्रपत्र नियंत्रक अधिकारी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर प्रपत्र पर सहमत/असहमत की संस्तुति सहित शीघ्र तीन दिन के अन्दर** इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि दैनिक श्रमिकों की सूचना शासन को प्रेषित की जा सके। यदि दैनिक श्रमिक कार्यरत न हो तो रिक्त सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक,

पत्रांक 815 /29–1–(1) दिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण देहरादून को इस आशय से प्रेषित की पत्र को विभागीय बेवसाइड में अपलोड करवाने का कष्ट करे।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक,

ITGC
आ0 का0 कार्य,
DCF
7/10/22